बिहार विधान परिषद — दैनिक विवरणिका

संख्या- 16 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 21.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.20 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन के माध्यम से राज्य में बढ़ती अपराध की घटनाओं के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी किया। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका 6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर पोस्टर दिखाते हुए जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे, जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से खड़े होकर बोलती रहीं। आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि आपका कार्यस्थगन अस्वीकृत हो गया है, इसलिए सुबोध जी, कृपया वेल में नहीं आएं और सदन के कार्य संचालन

में अवरोध पैदा करना उचित नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठक जाइये। आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया लेकिन यथावत माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार के नेतृत्व में नारेबाजी होती रही। अंतत: माननीय उप सभापति महोदय ने आदेश देने की कृपा की कि सुबोध जी, आप सदन से बाहर चले जाइये और बाकी माननीय सदस्य, अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके बाद माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार सदन से बाहर चले गये। माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी ने अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बातें कहीं तथा इसके विरोध में राजद के माननीय सदस्यों सहित सदन से बाहर चली गई।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 139, 140, 141 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 142, 143, 144, 145 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 146 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 141 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल की मीटिंग कराके कार्रवाई करें। इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि स्पेसिफिक जानकारी देंगे, तो कार्रवाई करेंगे। फिर माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि ठीक है, सरकार इसको देख लेगी। सारी बातें संज्ञान में आ गई हैं, माननीय सदस्य कार्रवाई से अवगत होंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-174, अ-185, ब-216, ब-218, ब-220, ब-223, 338, 339, 340, 341 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 342, 344, 346, 349, 350, 352, 356 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 343, 345, 347, 348, 351, 353, 354, 355, 357, 358 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 338 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री उसको देख लें और जो उचित हो वह करें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 341 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, यह मामला बहुत गंभीर है और अलग से इसकी जांच करवाकर देख लीजिए। मुझे भी जानकारी है इसलिए आप व्यक्तिगत रुचि लेकर अविलंब सदन की भावना को देखते हुए उचित कार्रवाई करें।

3. परिनियत कार्य

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम एवं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्गत सूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. माननीय सदस्य द्वारा विशेष उल्लेख किया जाना

माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने विशेष उल्लेख के जरिये सदन को जानकारी दी कि इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में पटना नाम की जगह है जहां बिहार के लोग रहते हैं, वहां भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसपर सदन की ओर से मेजें थपथपाकर स्वागत किया गया।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदार नाथ पाण्डेय
2. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
3. श्री कृष्ण कुमार सिंह
4. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए। माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय की शून्यकाल की सूचना की प्रति माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने ग्रहण की।

6. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा शिक्षक के रिक्त पदों पर टी.ई.टी. 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया एवं माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी स्थिति स्पष्ट किया।

2. माननीय सदस्य, सर्वश्री नीरज कुमार, बीरेन्द्र नारायण यादव एवं राणा गंगेश्वर सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षा उप निदेशक, सारण द्वारा की गई अनियमितता तथा अर्जित अवैध सम्पत्ति की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सचिव स्तर के पदाधिकारी से जांच करवा दीजिए।

(अंतराल)

7. **बिपक्ष के माननीय सदस्यों को सदन में आमंत्रित करने का अनुरोध तथा आसन द्वारा इसपर सहमति एवं धन्यवाद ज्ञापन**

अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने विपक्ष के माननीय सदस्यों के सदन में नहीं रहने की बात उठाई तथा आसन से अनुरोध किया कि विपक्ष को भी सदन में आमंत्रित किया जाय। इसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि आपसे आग्रह है कि सुबोध जी सहित विपक्ष के माननीय सदस्यों को सदन में बुला लें। इसके बाद बिपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय के साथ आए। इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने विपक्ष के सदन में आगमन पर उनका स्वागत किया।

ध्यानाकर्षण

3. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा पर्यटन निगम की वाल्वो बसों के परिचालन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार इसको जल्दी करा दे।

4. माननीय सदस्य, श्री राणा गंगेश्वर सिंह एवं शिव प्रसन्न यादव द्वारा समस्तीपुर जिला के शाहपुर रेलवे स्टेशन के बाहर अम्बेदकर चौराहा पर डा. अम्बेदकर की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, सर्वश्री सुबोध कुमार, दिलीप राय एवं राधाचरण साह द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के कार्यकलापों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

6. माननीय सदस्य, सर्वश्री दिलीप कुमार चौधरी, सूरजनन्दन प्रसाद, रामचन्द्र भारती एवं तनवीर अख्तर द्वारा जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड के धराउत गांव में पर्यटक केन्द्र के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने समस्या का समाधान करने की घोषणा सदन में की है, तो समाधान करेंगे।

7. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा डा. एच.एन. दिवाकर, निदेशक, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, शास्त्रीनगर के सेवाकाल के क्रिया-कलापों की जांच के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

8. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**
(ऊर्जा, वाणिज्य-कर, पर्यटन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री राजन कुमार सिंह
3. श्री मो. तनवीर अख्तर
4. श्री रजनीश कुमार
5. श्री सुबोध कुमार
6. श्री ललन कुमार सर्राफ

(इस अवसर पर माननीय अध्यासीन सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने आसन ग्रहण किया।)

7. श्री लालबाबू प्रसाद

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

8. श्री संजय प्रसाद

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया –

1. श्री रमेश ऋषिदेव, माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच ही राजद के माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये।)

(माननीय मंत्री ने शेष भाषण एवं बजट भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

2. श्री प्रमोद कुमार, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग (माननीय मंत्री ने शेष भाषण एवं बजट भाषण की प्रति पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।)

3. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग (माननीय मंत्री ने शेष भाषण सदन पटल पर रखा।)

9. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

10. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सोनेलाल मेहता
2. प्रो. नवल किशोर यादव
3. डा. सूरजनंदन प्रसाद
4. श्री सी.पी. सिन्हा
5. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23.3.2018 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

21/3/2018

(सुमीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 542 (3) / बि.प. पटना, दिनांक 21.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
21-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।